राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी:– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 18/2025 प्रा0पत्र

अनवान

ाडूसिंह पुत्र नन्दासिंह जाति रावत आयु 49 वर्ष निवासी ग्राम अजीतगढ़, तहसील भीम जिला ाजसमन्द।

.... प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमन्द, राजस्थान।

......................अप्रार्थी

उपस्थिति :–

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भगत सिंह चौहान
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांकः– 13/4/26

01. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि अग्र निम्न वर्णित आराजियात् वाके ग्राम नालोईलालपुरा पटवार हल्का अजीतगढ भू.अ.नि. कालादेह तहसील भीम जिला राजसमन्द राज. में चली आ रही है।

खाता संख्या	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	
306	1690	0.0162	गै.मु.चाह	0.0162
	1781	0.1214	बारानी 2	
कुल खसरे– 2 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भूमि से प्रार्थी का 1/20 हिस्सा दर्ज है।				
307	1661	0.1295	बारानी 2	0.1295
	1672	0.1740	बंझड	0.1740
	1673	0.0486	बारानी 1	0.0486
	1674	0.0283	बारानी 1	0.0283
	1675	0.1700	चाही 2 जाव 2	0.0680 0.1020
	1678	0.1457	चाही 1	0.1457
	1679	0.2104	चाही 1	0.2104
	1684	0.0486	बारानी 1	0.0486

Scanned with OKEN Scanner

	1691	0.0971	बंझड	0.0971
	1693	0.0688	बारानी 1	0.0688
	1694	0.1457	चाही 1	0.1457
	1697	0.0101	चाही 1 जाव 1	0.0081 0.0020
	1698	0.0890	बारानी 2	0.0890
	1704	0.1942	चाही 1	0.1942
	1710	0.0728	बारानी 1	0.0728
	1711	0.1781	बंझड़	0.1781
	1712	0.0809	बारानी 1	0.0809
	1713	0.1214	बारानी 1	0.1214
	1714	0.0567	बारानी 1	0.0567
	1715	0.0283	बारानी 1	0.0283
	1716	0.1619	बारानी 1	0.1619
	1717	2.1853	बंझड़	2.1853
	1783	0.1457	बारानी 1	0.1457
कुल खसरे– 23 रकबा 4.5911 हैक्टेयर भूमि से प्रार्थी का 1/10 हिस्सा दर्ज है।				

खाता संख्या	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	
308	1677	0.0162	गै.मु. ओडवा	0.0162
	1686	0.0081	गै.मु.ओडी	0.0081
	1786	0.2266	बंझड़	0.2266
कुल खसरे– 03 रकबा 0.2509 हैक्टेयर भूमि से प्रार्थी का 1/20 हिस्सा दर्ज है।				

यह कि विरासतदार प्रार्थी का वास्तविक नाम लाडूसिंह है एवं प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज मे नाम लाडूसिंह पुत्र नंदासिंह के नाम से ही चला आ रहा है तथा प्रार्थी को बचपन में अपने परिवार वाले व माता–पिता के द्वारा स्नेह से नाम लालसिंह कहां जाता था तथा वास्तविक सभी असल दस्तावेजों व सरकारी रिकोर्ड में नाम लाडूसिंह दर्ज है इसी कारण से प्रार्थी के पिता नंदासिंह का देहान्त हो जाने के पश्चात् राजस्व भूमि का विरासत से नामान्तरण खुलवाते समय प्रार्थी कि गैर मौजुदगी में नामान्तकरण में नाम लाडूसिंह के स्थान पर नाम लालसिंह नाम त्रुटी पुर्वक दर्ज कर दिया गया है। जिससे कलम संख्या 01 में अंकित भूमि में प्रार्थी का नाम विरासत नामान्तकरण दर्ज करवाते वक्त हल्का पटवारी ने प्रार्थी का नाम लाडूसिंह पुत्र नंदासिंह के बजाय लालसिंह पुत्र कानसिंह के नाम से राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज कर दिया गया है। यह कि सभी दस्तावेजात् जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड इत्यादि दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम लाडूसिंह दर्ज है जो कि सही और सत्य नाम है। यह कि प्रार्थी के पिता का देहान्त हो जाने के पश्चात उक्त कॉलम संख्या 1 में वर्णित भूमि जिसमें प्रार्थी का नाम लाडूसिंह के स्थान पर लालसिंह नाम दर्ज कर दिया गया था जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही थी क्योंकि प्रार्थी नौकरी

Scanned with OKEN Scanner

ा ग्राम से दूर बाहर करता है तथा अपने काम–काज में व्यस्त रहता है और प्रार्थी को राजस्व र्ड में नाम त्रुटी पुर्वक लालसिंह दर्ज कर दिया गया था जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही थी। कि राजस्व रेकार्ड में नाम सम्बन्धित त्रुटी होने कि जानकारी प्रार्थी को प्रधानमंत्री किसान जना में लाभ प्राप्त करने हेतु ई.मित्र पर फॉर्म भरवाने गये जहां नाम सम्बन्धित समस्या होने से । जमाबन्दी व आधारकार्ड में नाम भिन्न भिन्न होने से यह जानकारी प्रार्थी को हुई जिसके बाद र्थी ने नामान्तकरण में नाम गलत दर्ज होने बावत् हल्का पटवारी को कहा तो हल्का पटवारी ने हा कि इसका शुद्धिकरण का माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष धारा 136 राज. भू. जस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने पर ही सुधार होगा। यह कि उक्त दो नाम (1) लसिंह पुत्र नंदासिंह तथा (2) लाडूसिंह पुत्र नंदासिंह दोनो नाम का एक व्यक्ति होकर प्रार्थी यं है तथा दोनो नाम प्रार्थी के ही है। यह कि हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का म लाडूसिंह के बजाय लालसिंह दर्ज कर दिया गया तब ये यह वाद कारण जारी है।

अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि कलम संख्या 1 में दर्ज राजस्व कार्ड की जमाबन्दी में दर्ज खातेदार का नाम लालसिंह पुत्र नंदासिंह दुरूस्त कर लाडूसिंह पुत्र नंदासिंह नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करने कि कृपा करावे।

02. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार भीम द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम नालोई लालपुरा के खाता संख्या 306, 307 एवं 308 में प्रार्थी का नाम लालसिंह पिता नंदासिंह रावत के बजाय लाडूसिंह पिता नंदासिंह रावत दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम लालसिंह पिता नंदासिंह रावत दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, में इनका नाम लाडूसिंह पिता नंदासिंह रावत है जो सही है ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे तो कोई आपत्ति नही है। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि में लालसिंह पिता नंदासिंह रावत का नाम दुरस्त कर लाडूसिंह पिता नंदासिंह रावत दर्ज करने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/4/26 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner